(155)

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रिव्यू - 2336 - II - 16

प्रकरण क्रमांक /16रिव्यू

विनोदकुमार मिश्रा पुत्र स्व० जयराम प्रसाद मिश्रा निवासी-वार्ड नं० 01 अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) ......आवेदक

दिनांक 18-7-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 18-7-16

प्रदीप श्रीवास्तव एड. 17/7/2016

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य
2. श्रीमती हेमा गर्ग पत्नी वेदप्रकाश गर्ग

निवासी-अनूपपुर वार्ड नं.9, तहसील व जिला अनूपपुर ....अनावेदकगण

रिव्यू अंतर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल सदस्य श्रीमती डॉ. मधु खरे के न्यायालय के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 4101-III /15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 ।

माननीय महोदय,

आवेदक रिव्यू निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है :-

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा विवादित भूमि को ग्राम परसावर तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र. में स्थित आराजी खसरा नं0 817 रकवा 1.617 है. भूमि के अंश रकवा 0.202 हैक्टेयर भूमि को निगरानीकर्ता से भूमि स्वामी उत्तरवादी के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को क्रय किया था।

2016 July-I 119

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेशं पृष्ठ

रिव्यू 2336–दो / 16 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	